सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 01, मंगलवार, *शाके* 1947- सितम्बर 23, 2025
Asvina 01, Tuesday, Saka 1947- September 23, 2025

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, सितम्बर 16, 2025

संख्या F3(1)(6)EEM/ELECTION/Candidates'Exp./2024/4302 :-भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राज.-लो.स./07/2024/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 11 सितम्बर, 2025 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/राज.-लो.स./07/2024/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक: 11 सितम्बर, 2025 / 20 भाद्रपद, 1947(शक)

<u>आदेश</u>

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 20.03.2024 की अधिसूचना सं0 आ.अ. 59 (अ) के अनुसरण में राजस्थान राज्य के 7-**जयपुर** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के 7-**जयपुर** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** की रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक 16.07.2024, पत्र सं0 F3(1)(6)EEM/Election/Candidates' Exp./2024/7902 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री**

प्रदीप वर्मा, जो राजस्थान राज्य के 7-**जयपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री प्रदीप वर्मा** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज. लो.स./07/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक: 10 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री प्रदीप वर्मा** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** से दिनांक 18.03.2025 के पत्र सं0 निर्वाचन–2025/796 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री प्रदीप वर्मा** के पिता (**श्री जगदीश प्रसाद**) द्वारा दिनांक 30.01.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** ने पत्र सं0 निर्वाचन–2025/796 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री प्रदीप वर्मा** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री प्रदीप वर्मा** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन अयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रदीप वर्मा**, अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में राजस्थान राज्य के **7-जयपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री प्रदीप वर्मा, म.न.69, तुलसीपुरा बुनकर मौहल्ला, तुलसीपुरा, कोटपूतली, जयपुर-303106, राजस्थान,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

राजेश कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,
श्री प्रदीप वर्मा,
म.न.69, तुलसीपुरा,
बुनकर मौहल्ला, तुलसीपुरा,
कोटपुतली, जयपुर-303106, राजस्थान.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/RJ-LS/12/2024/CEMS-I Dated: **11th September, 2025** / **9 Bhadrapad, 1947 (Saka)**

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Rajasthan, 2024 for **7-Jaipur** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **O.N.59(E),** dated **20th March, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above mentioned election for **7-Jaipur** Parliamentary Constituency of Rajasthan, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **04th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by DEO, Jaipur report dated 10.07.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(6)EEM/Election/Candidates Exp./2024/7902, dated 16.07.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961,, **Sh. Pradeep Verma**, a contesting candidate from **7-Jaipur** Parliamentary Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jaipur** a Show-Cause notice **No.76/RJ-LS/07/2024/CEMS-I, dated 10th January, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pradeep Verma** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Pradeep Verma** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jaipur** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jaipur** vide his letter no. Election-2025/796, dated 18.03.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Pradeep Verma**'s father **(name Sh. Jagdish Prasad)** on 30.01.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jaipur** in his Supplementary Report, vide its letter no. Election-2025/796, dated 18.03.2025 has reported that **Sh. Pradeep Verma** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Pradeep Verma**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pradeep Verma**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pradeep Verma**, **H.No. 69, Tulsi Pura, Bunkar Mohalla, Tulsipura, Kotputli, Jaipur-303106, Rajasthan** a contesting candidate for **7-Jaipur Parliamentary Constituency** of Rajasthan in General Election to the Lok Sabha, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAJESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Sh. Pradeep Verma,
H.No. 69, Tulsi Pura,
Bunkar Mohalla, Tulsipura,
Kotputli, Jaipur-303106, Rajasthan

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।